


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रथम अपील, खेमसिंह जोधा बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं(अति0जिला कलक्टर धौ0) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 31/2022) (जीसीएमएस न0 2022/53)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये</p>
<p>15.9.2022</p>	<p>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: अपील/आरटीआई./2022/473 दिनांक 12.9.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री खेमसिंह जोधा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 20.07.2022 को आवेदन भिजवाया गया। उक्त आवेदन आवक शाखा के क्रमांक 7846 दिनांक 20.07.2022 से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक संपर्क/सूचना अधि./2022/432 दिनांक 17.08.2022 से जरिये रजिस्टर्ड-डाक सूचना भिजवा दी गई है कि आप पूल अनुभाग से प्राप्त 04 पृष्ठ की सूचना हेतु प्रतिलिपि शुल्क 2/-रु0 प्रति पृष्ठ के हिसाब से इस कार्यालय में जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते है जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है। अपीलार्थी के स्तर से प्रतिलिपि शुल्क अप्राप्त होने के कारण सूचना नहीं भिजवाई गई है। प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।</p> <p>अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क 2/-रु0 प्रति पृष्ठ के हिसाब जमा नहीं कराये जाने के कारण नहीं भिजवाई गई है। अपीलार्थी को निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा पत्रांक संपर्क/सूचना अधि./2022/432 दिनांक 17.08.2022 से जरिये रजिस्टर्ड-डाक अपीलार्थी को सूचना दी गई है। अपीलार्थी के स्तर से प्रतिलिपि शुल्क अप्राप्त होने के कारण सूचना नहीं भिजवाई गई है। अपीलार्थी निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः प्रथम</p>	

	<p>अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।</p>	
--	---	--

  
( अनिल कुमार अग्रवाल )  
जिला कलक्टर, धौलपुर